अल्पकालीन पुनः निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजभवन परिसर, लखनऊ में अग्निशमन यंत्रों की नई खरीद व स्थापना हेतु निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता से मोहरबन्द निविदा पंजीकृत डाक अथवा सीधे विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा आमंत्रित की जाती है। निविदा की विशेष शर्ते एवं विवरण अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में अपरान्ह 3.00 से 4.00 बजे तक निःशुल्क प्राप्त किया जा सकता है एवं राजभवन की वेबसाइट www.upgovernor.gov.in पर देखा जा सकता है एवं दिनांक 20.02.2012 तक निविदा फार्म रू0 100/= प्रति निविदा की दर से कोषाध्यक्ष राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 गेट नं0–9, लखनऊ से नकद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। निविदायें दिनांक 21.02.2012 को 2.00 बजे अपरान्ह तक प्राप्त की जायेंगी एवं उसी तिथि को अपरान्ह 4.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में खोली जायेंगी।

(एस0एन0 राव)
विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक।

फार्म की दर : 100/प्रति
क्रमांक ....

अल्पकालीन पुनः निविदा प्रपत्र

उत्तर प्रदेश राज्यपाल की ओर से राजभवन परिसर, लखनऊ में विभिन्न स्थानों पर निम्नलिखित फायर एक्सटिंग्यूसर्स की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु दिनांक 21.02.2012 को 2.00 बजे अपरान्ह तक आई0एस0आई0 फायर एक्सटिंग्यूसर्स निर्माता अथवा उनके अधिकृत विक्रेताओं से निविदा आमंत्रित की जाती है।

1— A. B.C. फायर एक्सटिंग्यूसर्स
क्षमता 5 किग्रा0 (I.S. 13849—1999) 35 अद्द

2— Co 2 फायर एक्सटिंग्यूसर्स
क्षमता 4.5 किग्रा0 (I.S. 2878—1986) 06 अद्द

3— AFFF- 9 लीटर फायर एक्सटिंग्यूसर्स
क्षमता 9 लीटर (I.S. 10204—1989) 03 अद्द

(अ) मुहरबन्द निविदा विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय द्वारा दिनांक 21.02.2012 को 2.00 बजे अपरान्ह तक प्राप्त की जायेगी तथा उसी दिन सायं 4.00 बजे खोली जायेगी।

(ब) केवल निविदादाता टेण्डर खोलने के समय उपस्थित रह सकता है।

(स) निविदादाताओं को निम्न शर्तें पूरी करनी होगी :—

(1) कोई भी सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
(2) दरों की वैधता के लिए 100/— के लिए नान—जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0 1/— की रसीदी टिकट पर हस्ताक्षरयुक्त संलग्न करना होगा।
(3) निविदादाता के आयकर एवं वाणिज्य कर में पंजीकरण का प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
(4) महत्वपूर्ण सरकारी स्थानों पर तत्सम्बन्धी कार्यो का संतोषजनक कार्य का प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
(5) उक्त मदों के I.S.I. होने का प्रमाण पत्र व I.S.I. की वैधता का प्रमाण—पत्र संलग्न करना होगा।
(6) निर्माता के अधिकृत विक्रेता होने तथा वैधता अवधि का प्रमाण—पत्र की प्रति संलग्न करना होगा।
(7) रू0 2,000.00 की धरोहर राशि हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से विशेष सचिव एवं वित्त नियंत्रक, राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0 लखनऊ के पक्ष में ड्राफ्ट संलग्न करना होगा। दिनांक 25.01.2012 को जिन निविदादाताओं की धरोहर धनराशि संलग्न थी, उन्हें अपनी निविदा के साथ बैंक ड्राफ्ट न लगाने की छूट है।
(8) सफल निविदादाता का अनुबन्ध के समय अनुबन्ध राशि का 10 प्रतिशत F.D.R अथवा बैक गारन्टी/राष्ट्रीय बचत पत्र प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल के पक्ष में बन्धक करके जमा करना होगा एवं नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी भी देय होगी।
(9) आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य राजभवन में तैनात अग्निशमन प्रभारी, राजभवन के दिशा—निर्देश में किया जायेगा।
(10) कार्य समाप्ति के 07 दिन के अन्दर बिल दो प्रतियों में सामग्री की गारन्टी प्रमाण पत्र/टेस्टिंग प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
(11) निविदा का समर्थन कराने अथवा कोई भी सूचना असत्य पाये जाने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
(12) प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल को एक अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है। इस संबंध में कोई भी पत्राचार अन्य न होगा।